प्रेस नोट 01/11/2021

आज दिनांक 01.11.2021 को यातायात माह नवम्बर 2021 का उद्घाटन गाजीपुर तिराहे पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी , क्षेत्राधिकारी यातायात/क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनन्जय मिश्र, आरटीओ मऊ श्री रमेश श्रीवास्तव, अरविन्द कुमार जयसवाल, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री संजय त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी श्री राम सिंह व प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला श्री पंकज कुमार सिंह, टीएसआई मो0 रुस्तम खान, टीएसआई श्री राम अचल पाल, एचसीपी टीपी श्री रमेश कुमार, एचसीटीपी सुनील कुमार सिंह व शहर के गणमान्य डॉ संजय सिहं, प्रदीप सिंह, समाज सेवी श्री राजेन्द्र अग्रवाल व्यापारी बन्धु व टेम्पू यूनियन के पदाधिकारीगण व ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यातायात नियमो की जानकारी दी गयी व पूरे माह नवम्बर मे यातायात कार्यक्रम का आम जन मानस को जागरूक करने हेतु निम्न कार्यक्रम योजनाबद्व रूप से प्रचार–प्रसार किये जायेगे, सडक सुरक्षा के साथ–साथ प्रशिक्षण, रोड इंजिनियरिंग आदि के महत्व के बारे में जनता को जागरूक कर उत्कृष्ट कोटि की यातायात ब्यवस्था को बनाने हेतु अन्य विभागो से परस्पर समन्वय स्थापित करना। ट्रैक्टर/ ट्राली के पिछे रिफ्लेक्टर/फ्लोरोसेण्ट स्ट्रिप लगवाया जाना। तथा चालको को यातायात के नियमो के बारे में ब्यापक जानकारी एवं प्रशिक्षण का दिया जाना। जिम्मेदार नागरिक पहल के अन्तर्गत स्कूलो/विद्यालयो में यातायात के नियमो का ब्यापक प्रचार–प्रसार करना। वाहन चलाते समय पैदल यात्रियो को सड़क पार करने में प्राथमिकता प्रदान करेगें। अपने माता–पिता, बच्चो, रिस्तेदारो, सहकर्मियो, वाहन चालको और परिचितो को यातायात नियमो के बारे में विस्तृत जानकारी देना।ग्रामीण अंचलो के विद्यालय के छात्र–छात्राओ को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने तत्पश्चात यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन चालको व वाहन स्वामियो निम्न विन्दुओ पर कार्यवाही की जायेगी अनाधिकृत रूप से लगे लाल/नीली फ्लेसर बत्ती के विरूद्व कार्यवाही।वाहनो पर लगे अनाधिकृत रूप से हूटर्स के विरूद्व कार्यवाही। वाहनो पर लगे अनाधिकृत रूप से सायरन/प्रेषर हार्न के विरूध कार्यवाही। वाहनो के शीशों पर अवैध रूप से लगी काली फिल्म के विरूद्व कार्यवाही।विना डी0एल0 के वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही, बिना पेपर के वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही, यातायात नियम/संकेतो का उलंघन करने वालो के विरूद्व कार्यवाही, वाहन चलाते समय मोबाइल/ईयरफोन का प्रयोग करने वालो के विरूद्व कार्यवाही, दो पहिया चालको द्वारा हेलमेट न धारण करने/तीन सवारी बैठाकर चलने वालो के विरूद्व कार्यवाही, चार पहिया वाहन चालको द्वारा सीट–बेल्ट न धारण करने वालो के विरूद्व कार्यवाही, गलत नम्बर प्लेट लगाये वाहनो के विरूद्व कार्यवाही। शहरों/कस्बो /गॉवो में पटरी पर ठेला/खोमचा लगाकर अतिक्रमण करने वालो के विरूद्व कार्यवाही, ओवरस्पिडिंग तथा स्टंट कर वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही तथा स्कूली वाहनो में ओवरलोडिंग करने पर कार्यवाही। शराब पीकर व तेज गति से गाड़ी चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही, अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही, सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम के अन्त मे प्रभारी यातायात श्री संतोष कुमार यादव द्वारा सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया गया।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 01.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भैरोपुर मोड़ के पास से अभिषेक यादव पुत्र लल्लू

निवासी धरमपुर विशुनपुर लिलहवा थाना मधुबन मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक जिंदा करतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 522/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 18 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 01.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा छविनाथ यादव व महेन्द्र यादव निवासीगण राजापुर थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा राकेश यादव व कैलाश यादव निवासीगण रामपुर चकिया, विनोद गुप्ता, दुखंती व अमन गुप्ता निवासीगण डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अशोक व मुन्ना कन्नौजिया निवासीगण अरदौना थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा नौसाद व जावेद निवासीगण बलुआ कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दयाशंकर निवासी हरपुर व राकेश यादव निवासी बेलचौरा थाना सरायलखंसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बबलू बांसफोर निवासी मधुबन व छोटू निवासी मशानघाट थाना कोतवाली गाजीपुर व वारंटी अभियुक्त बालकेश यादव पुत्र गनेश निवासी धरमपुर विशुनपुर नकियहवा थाना मधुबन, थाना घोसी पुलिस द्वारा सैयद आजम व शहनवाज निवासीगण भटौली मलिक थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।